

← DOC-20230908-WA...



आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT		भारत सरकार GOVT. OF INDIA	
ई- स्थायी लेखा संख्या कार्ड e - Permanent Account Number (e-PAN) Card AAJCN0021E			
नाम / Name	NISHKANT KUMAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED		
संस्थापन की तारीख Date of Incorporation / Formation	14/07/2023		
			Signature Not Verified Digital Signature for Income Tax Dept. Date: 2023/07/14 10:16:40 GDT+05:30
- Permanent Account Number (PAN) facilitates Income Tax Department linking of various documents, including payment of taxes, assessment, tax demand, tax returns, matching of information and any correspondence & retrieval of electronic information etc. relating to a taxpayer. - स्थायी लेखा संख्या (PAN) एक वास्तव में सर्वोच्च निहित सूचक है जो करदाता के आयकर विभाग को सहायक होता है, जिसकी मदद से करदाता, आयकर, आय विवरण, कर वापस के विवरण और वित्तीय जानकारी का आसानी से आसानी से मिलान किया जा सकता है। - Quoting of PAN is now mandatory for several transactions specified under Income Tax Act, 1961 (Refer Rule 114B of Income Tax Rules, 1962) अथवा अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (PAN) का उल्लेख अब अनिवार्य है (आयकर विभाग, 1962 के नियम 114B, का अनुवर्तन है)। - Providing or using more than one PAN is against the law & may attract penalty of upto Rs. 10,000. एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (PAN) का प्रयोग या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। - The PAN Card infused contains Enhanced QR Code which is readable by a specific Android Mobile App. Keyword to search this specific Mobile App on Google Play Store is "Enhanced QR Code Reader for PAN Card". कार्ड पर एक बढ़ावा दिया गया QR कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रोइड मोबाइल ऐप द्वारा पढ़ा जा सकता है। Google Play स्टोर पर इस विशिष्ट ऐप के लिए खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।			
-End-			
आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT भारत सरकार GOVT. OF INDIA स्थायी लेखा संख्या कार्ड Permanent Account Number Card AAJCN0021E MR. NISHKANT KUMAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Date of Incorporation / Formation 14/07/2023 इस कार्ड में कोई भी जानकारी नहीं है। आयकर विभाग, 1961 के तहत निर्दिष्ट कई लेनदेन के लिए स्थायी लेखा संख्या (PAN) का उल्लेख अब अनिवार्य है। आयकर विभाग, 1962 के नियम 114B, का अनुवर्तन है। एक से अधिक स्थायी लेखा संख्या (PAN) का प्रयोग या उपयोग करना, कानून के विरुद्ध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है। इस कार्ड में एक बढ़ावा दिया गया QR कोड शामिल है जो एक विशिष्ट एंड्रोइड मोबाइल ऐप द्वारा पढ़ा जा सकता है। Google Play स्टोर पर इस विशिष्ट ऐप के लिए खोजने के लिए कीवर्ड "Enhanced QR Code Reader for PAN Card" है।			
Electronically issued and Digitally signed ePAN is a valid mode of issue of Permanent Account Number (PAN) post amendments in clause (c) in the Explanation occurring after sub-section (8) of Section 138A of Income Tax Act, 1961 and sub-rule (8) of Rule 114 of the Income Tax Rules, 1962. For more details, click here			

